कृषि उत्पादन

+

श्री रा० स० तिवारी :

श्री वेंकटासुख्याः

श्रीयोगेन्द्रझाः:

भी दी० चं० श**र्मा**ः

श्रीप्र० रं० चक्रवर्तीः

श्री क्रम राज सिंह :

श्री यशपाल सिंह : श्री विद्याचरण शुक्त :

श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा :

श्रीदाजी:

श्री एस० एम० बनर्जी :

श्रीन्द्रजीतगुष्तः

श्री सिद्धेश्वर प्रजाद ः

श्री ग्रार० पी० सिह:

श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : श्री पी० सी० बरूग्रा :

श्री हेम राज:

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि योजना स्रायोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थाई समिति को एक योजना भेजी है, जिसके स्रनुसार कृषि उत्पादन बढ़ाया जायेगा तथा प्रत्येक राज्य के कुछ जिलों को इस कार्य के लिये चुना जायेगा ;
- (ख) उत्पादन बढ़ाने के लिये उन जिलों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है; ग्रौर
- (ग) क्या सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ राम॰ सुभग सिंह): (क) जी हां। (ख) ग्रौर (ग). पूछी हुई जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

१. सघन चारल उत्पादन कार्यक्रम :

- (१) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे एक प्रतिरिक्त विस्तार प्रधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में ग्राम सेवकों की नियुक्ति करके विस्तार स्टाफ को सुदृढ़ करें ताकि प्रत्येक ग्राम सेवक को सघन खेती की ४००० एकड़ से ग्रधिक भूमि की देखभालन करनी पड़े।
- (२) यह सुझाव दिया गया है कि
 पौद रक्षा सम्बन्धी कार्यों
 के लिये उपदान की मात्रा
 को २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत
 तक बढ़ा दिया जाये और इस
 खर्चे को केन्द्रीय तथा राज्य
 सरकारें भ्राधा भ्रावा बांट
 लें।
- (३) विभिन्न क्षंत्रों में चावल तया धान की खरीद के लिये एक उचित कय मूल्य निर्धारित कर दिया गया है ताकि यह मुनिश्चित किया जा सके कि किसान को इस उत्पादन के लिये लाभकारी कीमत मिल सके।
- (४) राज्यों को कहा गया है कि वें चावल. उत्पादन के लिय ग्रावश्यक उपकरणों की खरीद के लिये किसानों तथा पंचायतों को २५ प्रतिशत उपदान दें।

- २. चुने हुए जिलों में ज्वार, बाजरा तथा दालों के लिये सुखो खेती श्रीर सघन उत्पादन कार्यक्रम:
 - (१) यह सुझाव दिया गया है कि चावल की तरह ज्वार, बाजरे तथा दालों के लिये भी खण्डों के विस्तार स्टाफको सुदुढ्किया जाय !
 - (२) इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेत् कृषि ग्रीजारों के लिये २५ प्रतिशत उपदान. विशेष रूपसे स्वीकार किया गया है; यह भार पूर्ण रूप से भारत सरकार ही उठायेगी।
 - उपरोक्त दोनों प्रोत्साहनों के म्रलावा कीटनाशियों, फुहारने तथा बुरकने के यन्त्रों ग्रौर फास-फोरस पूरक उर्वरकों के लिये प्रतिशत उपदान जो पहले ही तीसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत उपलब्ध है, से भी लाभ उठाया जा सकता है।

३. सन्जियों की सघन प्राई:

(१) सब्जियां उगाने के इच्छाक किसानों को सब्जियों के बीज है। रियायती दर पर देने का प्रस्ताव भावश्यकता के समय केन्द्रीय सरकार सब्जियों के बीजों की उपलब्धि तथा सम्भरण के लिये राज्य सरकारो को सहायता देगी । इस कार्य के लिये राज्य सरकारों की श्रल्पकालीन ऋण भी दिया जा रहा है।

४. कपास तथा तिलहर :

(१) उन्नत बीज : संकर तथा ज्ट की भान्ति फली तथा तिलहन के लिये भी उपदान मिल सकेगा भीर इस उपदान का भार केन्द्रीय तथा सरकार ग्रापस में ग्राघा ग्राघा बांटेंगी ।

- (२) वनस्पति रक्षा संबंधी कार्यः श्रव तक कीटनाशी श्रीषधियों फुहारने तथा बरकने म्रादि के यंत्रों के विषय में लागत के ४० प्रतिशत भाग तक के लिये उपादान दिया जाता था ग्रीर इस राशि को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार म्राधी माबी बांटती थी। भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि वह भविष्य में उपदान के अपने २५ प्रतिशत भाग की दे देगी और इस बात का आग्रह न करेगी कि राज्य सरकारें भी बराबर की राशि दें।
 - (३) उर्वरक: भारत सरकार राज्य सरकारों को कपास के लिये उर्वरकों का ग्रतिरिक्त कोटा देगी। यह कोटा उस कोटे के ग्रलावा होगा जो कि राज्यों को पहले ही मिल रहा है।
 - (४) ग्रत्पकालिक ऋण : किसानों द्वारा उन्नत बीजों की खरीद तया उनके वितरण के लिये राज्य सरकारों क्षारा अल्प-कालिक ऋग दिये जा रहे हैं। उर्वरकों की खरीद तथा उनके वितरण के लिये उत्पादकों को भी ऋग दिये जा रहे हैं।
 - (५) तकनीकी मार्गदर्शन : में कपास के विकास से सम्बन्धित योजनाम्रों के लिये तीसरी योजना के ग्रन्तर्गत पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कर दिया गया है ताकि कपास उत्पादकों को

कपास उत्पादन के उन्नत तरीकों के बारे में सलाह दी जा सके।

(६) पंकेज प्रोग्राम : पंकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के लिये व्यवस्था की गई है। ऐसे अतिरिक्त स्टाफ पर होने वाले खर्च को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें समान रून से बांटेंगी।

श्री रा० स० तिवारी: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करगे कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये हर प्रान्त के जिलों को जो मदद दी जाने वाली है, वह रुपयों में दी जायेगी या मशीनों, ट्रैक्टर्स ग्रादि के रूप में उनको मदद दी जायगी?

डा॰ राम सुभग सिंह : मशीनों श्रीर कृषि श्रीजारों के लिए २५ प्रतिशत सबसिडी दी जाती है । पैस्टीसाइड्स, इंसैक्टीसाइड्स, दवाश्रों के लिये भी ५० प्रतिशत सबसिडी दी जाती है जिसका कि २५ प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार वहन करती है ।

श्री रा० स० तिवारी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता प्रान्तों के मंत्रियों या प्रान्तीय सरकारों से पूछ कर दी जायनी या यहां से उसका सीधा सम्बन्ध होगा ?

डा॰ राम सुनग तिह : सारी सहायता राज्य सरकारों की राय से ब्रौर उनकी मार्फत दी जाती है ।

Shri P. Venkatasubbaiah: In the statement laid on the Table of the House, various measures taken to step up food production in the different States had been given. However, no mention has been made regarding credit facilities to be given to the cultivators to reclaim land and intensity food production. I want to know whether there are any arrangements to give credit facilities to the farmers.

Dr. Ram Subhag Singh: Credit is one of the most important factors for improving agricultural production and a sum of Rs. 240 crores was advanced as agricultural credit. That comes under the Ministry of Co-operation. That sum was advanced last year. About Rs. 40 crores was distributed as taccavi loan by the State Governments. As that item comes under the Ministry of Co-operation, it has not been mentioned here.

Shri Vidya Charan Shukla: It has been said that as an incentive for better production of paddy, reasonable purchase prices are being fixed in different regions by the Government. May I know whether these prices are fixed by notification well before the paddy crop comes to the market or it is left to the regional directors to fix the price?

Dr. Ram Subhag Singh: It was announced about two months ago. In determining such things in future, we shall keep the observations of the hon. Member in mind.

Shri Thirumala Rao: Have the Government considered the desirability of putting food production and agricultural credit under one Ministry?

Dr. Ram Subhag Singh: That is a suggestion.

Shri Inder J. Malhotra: In the statement under every item it is said that the village level workers and block staff will be strengthened. I want to know whether this block staff will be working under the Ministry of Food and Agriculture or the Ministry of Community Development.

Dr. Ram Subhag Singh: They are working as they have been working before. The Ministry of Food and Agriculture and the Ministry of Community Development and Co-operation are both working in full co-operation and there is no difficulty in getting things done.

Shri D. C. Sharma: In the statement there is one word occurring constantly: 'subsidy'; subsidy is going

74

to be given for everything. May I know what arrangements are going to be made for the distribution of fertilisers, agricultural implements, pesticides and so on? What is the good of giving subsidy if these things are not increasingly made available?

Dr. Ram Subhag Singh: The quantity of nitrogenous fertiliser is creasing every day. This year distributed about 4.9 lakh tons nitrogenous fertilisers. Wherever there is any disease noticeable, particularly if it happens in cash crop areas, we are sending our aerial unit and other units and we do spraying work. In every package district one workshop has been established for producing agricultural implements through blocks also we have been distributing improved agricultural implements in certain areas with a view to see that the growers take full advantage this subsidy.

Shri P. R. Chakraverti: What are the criteria which have been determined for fixing particular areas for this increased production?

Dr. Ram Subhag Singh: In consultation with the State Governments these districts are selected, and the chief criteria paricularly for are that there should be irrigation facilities existing in that area. bajra, jowar and pulses, the criteria are that they should be the bajra, jowar or pulses growing areas.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : योजना स्रायोग की इस राष्ट्रीय विकास परिषद ने पिछली दो पंचवर्षीय योजनाम्रों में निर्घारित लक्ष्य तक कृषि उत्पादन न पहुंचने के संबंध में भी क्या कोई असन्तोष व्यक्त किया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण बतलाये गये हैं?

डा० राम सुभग सिंह : श्रव श्रसल में हम लोगों को तो कोई खास इस रूप में लिख कर दिया नहीं है कि असन्तोष है। अब असन्तोष के लिये अगर कारण कोई यह कहें कि जो ४ मिलियन एकड सिचाई का साधन बनाया गया था उस का उपयोग नहीं हो रहा है तो उस के लिय खाद्य भीर कृषि मंत्रालय कहां तक जवाबदेह है यह खुद माननीय सदस्य समझ सकते हैं।

Shri Indrajit Gupta: In the statement which has been given I find it stated that a reasonable purchase price for paddy and rice has been fixed in different areas. May I know whether this price is being statutorily fixed? What is the basis on which it is being fixed? If it is not being statutorily fixed, how do the Government propose to enforce it?

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): The Government propose to enforce it as they have been enforcing it in the matter of wheat, etc., saying that this is the minimum price. Of course, we do not expect that the price should fall so low that the farmers should come to the minimum. But supposing that they reach the minimum, the Government enters the market and buys the stock so that the farmer should not suffer.

Wagon Shortage

- *11. Dr. L. M. Singhvi: Will the Minister of Railways be pleased to state:
- (a) the position to date in respect of wagon shortage; and
- (b) what steps have of late been taken to ensure a more satisfactory wagon-user position?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

- (a) There was a shortage of about 12.100 B.G. and 4.600 M.G. wagons as against the Plan provision at the end of November, 1962.
- (b) The following measures continue to be taken to increase wagon